[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्यां 43/2021- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त, 2021

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "थैलिक एनहाइड्राइड" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2917 35 00 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/16/2020-डीजीटीआर, दिनांक 19 मई, 2021 जिसे, दिनांक 19 मई, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(i) विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई;

(ii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) विषयगत उत्पाद की भरमार होने और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम

(7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	मद	विषयगत वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	40.08	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	40.08	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	पी.टी. पेट्रोविडाडा	59.83	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	कोई भी अन्य	90.11	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड	इंडोनेशिया	कोई भी	90.11	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

			से भिन्न कोई भी देश					
6.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	एक्युंग पेट्रोकेमिकल	41.26	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	हनवा सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन	41.64	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी अन्य	140.17	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया और थाईलैंड से भिन्न कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	140.17	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	कॉन्टिनेंटल पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड	63.06	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	कोई भी अन्य	134.91	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	चीन जनवादी	थाईलैंड	कोई भी	134.91	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

			गणराज्य, कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया से भिन्न कोई भी देश					

बशर्ते कि कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित वस्तुओं के मामले में, जहां उन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क से संदर्भित किया गया है) का भुगतान भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, जिसे सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के अनुसार किया गया हो वहां इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाए जाने वाला प्रतिपाटन शुल्क केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा जहां उक्त सीमाशुल्क उपर्युक्त सारणी के कॉलम 7 में यथा उल्लिखित राशि से कम हो और ऐसे मामलों में इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया जाने वाला प्रतिपाटन शुल्क उक्त राशि और उक्त सीमाशुल्क के बीच के अंतर के बराबर होगा ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/122/2021-टीओ(टीआरयू)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार